

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ /19 लखनऊ: दिनांक : 10 : जून -2019

-:: आदेश ::-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-817/19 दिनांक 15.05.19 द्वारा दिनांक 24.06.19 से 29.06.19 के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, 2, 3 व 4, कानपुर के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम कानपुर व विभागीय सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, वाराणसी को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या-1982/Admin (Services)/2019 DATED: ALLAHABAD: JUNE 06, 2019 द्वारा न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम कानपुर का स्थानान्तरण बस्ती हो जाने के कारण उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए "न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम कानपुर के स्थान पर न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, लखनऊ " को उक्त अवधि की खंड पीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0-10.06.19

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/ 977 /2018, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम, लखनऊ।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ -1, 2, 3 व 4 कानपुर।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।